बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित सोशल ऑडिट सोसाइटी से सामाजिक अंकेक्षण कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–28(1) में वर्णित है कि राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अनुश्रवण के संबंध में सामाजिक समपरीक्षा करेगा या करवायेगा तथा निष्कर्ष को प्रचारित कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा एवं 28 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, सामाजिक समपरीक्षा कर सकेगी अथवा ऐसी समपरीक्षाएँ करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी ।

रिट याचिका (सिविल) सं0– 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में दिनांक 22.03.2017 को पारित आदेश में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–28के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण का निदेश दिया गया है।

2. भारतीय सविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन तथा 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के अहम भूमिका निभाई जा रही है । इस बदली हुई परिस्थिति में गुणवत्ता को परखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि संबंधित योजनाओं में उपयोग की गई राशि के संबंध में यह आकलन किया जा सके कि संबंधित संस्था द्वारा कराया गया कार्य कैसा है ।

3. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में सामाजिक अंकेक्षण दल के प्रतिनिधियों द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानों एवं संबंधित लाभुकों से संवाद करते हुए उन्हें मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन एवं सामाजिक समपरीक्षा करेगा तत्पश्चात् इसके निष्कर्ष को प्रचारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आलोक में विभाग इसमें आवश्यक सुधार हेतु कार्रवाई कर सकेगा ।

4. राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु पंचायतों में मानव संसाधन का विकास किया जा रहा है जिसके द्वारा सभी पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यदि योजनाओं का अलग से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तो राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना होगी ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित सोशल ऑडिट सोसाइटी से कराया जाय ।

5. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के संकल्प सं0–235388 ग्रा0वि0–07(स0आ0) 12/2014 दिनांक 18.06.2015 द्वारा अनुमोदित एवं गठित स्वत्रंत निकाय सोशल ऑडिट सोसाइटी के Bye-laws की कंडिका–02 के तहत उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं सामाजिक अंकेक्षण में होने वाले व्यय की अग्रिम व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी । उक्त व्यय के आलोक में सोशल ऑडिट सोसाइटी द्वारा विभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।

सामाजिक अंकेक्षण में होने वाले व्यय का भुगतान मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–18-345600102030 6 विषय शीर्ष 0306.33.01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–18-345600789030 2, विषय शीर्ष 0302.33.01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–18-345600796030 2 विषय शीर्ष 0302.33.01 सब्सिडी से किया जाएगा ।

6. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित सोशल ऑडिट सोसाइटी से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 13.06.2017 को मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–प्र06–विविध(सा0अंके0)–01/2017/21 टि0।

16/6/2017
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

16/6/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–विविध(सा0अंके0)–01/2017 2910 खाद्य–पटना/दिनांक–19.06.17

प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

16/6/2017
सरकार के सचिव ।

D:\Year --2014\SECTION--06\Door cabinet_Sankap_02.doc